सार-समाचार

विद्यार्थियों से सीएम व केंद्रीय शिक्षा मंत्री का सीधा संवाद

कोटा, (निसं)। राजस्थान के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में कोटा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री का सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विदेशी भाषा कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सरकार और ईएफएलयू हैदराबाद के मध्य हुए महत्वपूर्ण एमओयू पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर नीलू चौहान ने बताया कि इस संवाद का उद्देश्य विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीतियों, कौशल विकास योजनाओं और रोजगार के अवसरों से सीधे जोड़ना है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी कहा कि विदेशी भाषा कौशल कार्यक्रम राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के लिए तैयार करेगा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कृष्ण कुमार विश्नोई उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉ.भगवती प्रसाद सारस्वत रहे। अपने संबोधन में विद्यार्थियो को कहा कि वर्तमान समय में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को वैश्विक दृष्टिकोण और बहुभाषीय दक्षता की आवश्यकता है। उन्होंने एमओयू को विद्यार्थियों के लिए अवसरों का द्वार बताते हुए कहा कि इससे उनके करियर में नई संभावनाएं खुलेंगी।

जनगणना पर्यवेक्षक एवं प्रगणकों का प्रशिक्षण

रामगंजमंडी, (निसं)। जनगणना-2027 के तहत नगरपालिका सुकेत में जनगणना कार्य हेतु नियुक्त प्रगणकों व पर्यवेक्षकों को दो बेच में कुल 61 कार्मिको का प्रशिक्षण बुधवार से शुक्रवार तक आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में फील्ड ट्रेनर्स सावित्री कुमारी, सुरेश कुम्हार, मनोज कुमार गुप्ता व राकेश कुमार धाकड द्वारा सभी पर्यवेक्षकों व प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया गया व उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे कार्मिकों को जनगणना अधिनियम 1948 व जनगणना नियमावली 1990 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किए गए। शहरी क्षेत्र में जनगणना की प्रक्रिया के तहत स्वगणना 1 मई से 15 तक प्रारम्भ हो रही है जिसमें नागरिक पोर्टल पर स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं तथा भरे गये डेटा की आईडी संख्या लिखकर आपने पास सुरक्षित रख लेवे। वहीं 15 मई के पश्चात 16 मई 2026 से प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर डेटा एकत्रित किया जायेगा उस समय जिन नागरीकों द्वारा स्व-गणना के तहत अपना डेटा पोर्टल पर अपलोड किया हुआ है वह प्रगणक को अपनी आईडी संख्या देगें। जिससे आम नागरिकों का जनगणना कार्य में सहयोग प्राप्त होगा व समय भी बचेगा।

11 लाभार्थियों को लगाया गया टीका

कोटा, (निसं)। मंडल रेलवे अस्पताल में ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ.सुपर्णा सेन रॉय के निर्देशन में संपन्न हुआ। शिविर का मुख्य उद्देश्य एचपीवी से संबंधित रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा पात्र लाभार्थियों को निवारक टीकाकरण प्रदान करना था। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि शिविर का संचालन परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में किया गया। पंजीकरण, स्क्रीनिंग, टीकाकरण और टीकाकरण उपरांत निगरानी सहित संपूर्ण प्रक्रिया को सुचारू एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न करने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी।

संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर ने की स्व-गणना

आमजन पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर जनगणना में शामिल हों

कोटा, (निसं)। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल एवं जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर डिजिटल जनगणना-2027 के तहत सेल्फ एन्यूमरेशन (स्व-गणना) के तहत आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर विवरण दर्ज किया एवं सफलतापूर्वक स्व-गणना का फार्म सबमिट किया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने कहा कि आमजन इस पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी देते हुए स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करें।

उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया आसान है और अपने मोबाईल, लैपटॉप, टैबलेट आदि पर पोर्टल खोलकर संबंधित प्रश्नावली का उत्तर देते हुए स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग स्वयं अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। उन्होंने आमजन से अपील की कि स्व-गणना पोर्टल पर सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं।

जिला कलक्टर समारिया ने अपनी स्व-गणना प्रक्रिया पूरी करने के बाद आमजन से आह्वान किया कि 1 से 15 मई तक पोर्टल के माध्यम से प्रश्नावली का उत्तर देकर स्व-गणना प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि स्व-गणना से संबंधित जानकारी भरने के बाद पोर्टल पर स्व-गणना आईडी जनरेट होगी जो 16 मई के बाद प्रगणक को दिखानी होगी। प्रगणक इस आईडी के आधार पर स्व-गणना में दी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे।

उन्होंने कहा कि पहली बार जनगणना का कार्य डिजिटल मोड में हो रहा है जिसमें प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मोबाईल से डाटा संग्रहण का कार्य करेंगे। पहली बार आम नागरिक को स्व-गणना का विकल्प दिया गया है जिसके तहत 1 से 15 मई तक आम नागरिक स्व-गणना के तहत प्रश्नावली का उत्तर देते हुए जनगणना की प्रक्रिया में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है जिसमें दी गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। इस अवसर पर चार्ज जनगणना अधिकारी एवं उपायुक्त नगर निगम जवाहर जैन, जनगणना प्रकोष्ठ प्रभारी अमित व्यास, अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी नगर निगम महावीर सिंह सिसोदिया, मास्टर ट्रैनर मनीष राठौर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी मृदुल गौतम सहित अन्य तकनीकी स्टाफ ने स्व-गणना की प्रक्रिया के बारे में बताया।

भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बांटे छाते

कोटा, (निसं)। तापमान 45 डिग्री के आस पास पहुंच चुका है। सड़कें तप रही हैं, लोग घरों से निकलने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन कोटा शहर ट्रैफिक पुलिस इस लू में भी दूसरों की मदद के लिए मैदान में डटी हुई हैं। यातायात को बहाल करना हो या अपराधियों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करनी हो या अवैध गतिविधियां संचालित हो रही उन्हें रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस नियमित रूप से भीषण गर्मी में सड़क पर धूप में खड़ी रहती है। टीम पंकज मेहता द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से नियमित रूप से सेवा कार्य कर रही है, इसी कड़ी में पुलिस कर्मियों को छातों का वितरण किया गया ताकि उन्हें छांव मिल सकें। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता ने कहा कि पसीने से तर-बतर शरीर और चिलचिलाती धूप में खड़े होकर यातायात पुलिसकर्मी नियमित अपने दायित्व को निभा रहे हैं।

दो गिरफ्तार

उदयपुर,(कासं)। गोगुन्दा थाना पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के दौरान अवैध गांजे से भरी कार जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया। महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज के निर्देशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक गोपाल चंदेल के सुपरविजन में गोगुन्दा थानाधिकारी श्यामसिंह एवं डीएसटी टीम प्रभारी एएसआई विक्रमसिंह के नेतृत्व में टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान कार को रोक तलाशी ली।

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)

क्रमांक :- ननिको/निर्माण/2026/37-50 दिनांक : 28.04.2026

-: ई-निविदा सूचना :-

नगर निगम कोटा द्वारा विभिन्न अभियान्त्रिकी विभागों के "A", "AA" श्रेणी एवं अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को सूचित किया जाता हैं कि नगर निगम कोटा द्वारा कुल 01 कार्य हेतु ई-निविदा सूचना संख्या 03/2026-27 से सम्बन्धित कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यो का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत, निविदा बैचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम कोटा की वेबसाइट www.kotamc.org, http/eproc.rajasthan.gov.in एवं sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

NIB Code : DLB2627A1012 & UBN No. : DLB2627WSRC02919

राज.संवाद/सी/26/1889 अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय (वि.) नगर निगम कोटा (राज0)

क्रमांकः- ननिको /वि0/2026/199-205 दिनांक : 29.04.2026

-: पुनः ई-निविदा सूचना :-

नगर निगम कोटा द्वारा किसी भी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों में निम्न कार्य को करने वाले अनुभवी संवेदकों से ई-निविदा पद्धती से ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित राशि, निविदा बेचे जाने, प्राप्त करने, अन्य शर्ते एवं जानकारी निगम वेबसाईट http://kotamc.org.com, www.sppp.rajasthan.gov.in & https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

(अनुमानित राशि 33.78 लाख रूपये)

NIB code DLB2627A1074 and UBN is: DLB2627GLOB03076

अधिशाषी अभियंता (वि.) नगर निगम कोटा

राज.संवाद/सी/26/1888

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-394 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत् आम सूचना** दिनांक-30.4.26

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-1579 विनोबा भावे नगर (निर्धन को आंगन योजना) योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक-292 दिनांक 24.04.2010 द्वारा श्रीमती रूपेन्द्र कौर पत्नी श्री सत्येन्द्र सिंह को आवंटन किया गया था। अवंटी श्रीमती रूपेन्द्र कौर पत्नी श्री सत्येन्द्र सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास को जर्ये मुख्तारनाम आम दिनांक 06.10.2013 श्रीमती संतोष गोस्वामी पत्नी श्री जगदीश गोस्वामी को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा भी उक्त भूखण्ड को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.03.2018 श्री जगदीश गोस्वामी पुत्र स्व. देवकिशन गोस्वामी को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या-1579 योजना विनोबा भावे नगर (निर्धन को आंगन योजना) का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री जगदीश गोस्वामी पुत्र स्व. देवकिशन गोस्वामी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कालजयी उपन्यास 'आनंदमठ' पर साहित्यिक परिचर्चा संपन्न

भगवान नृसिंह जयंती के पावन अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 'आनंदमठ' पर एक वृहद परिचर्चा का आयोजन किया गया। अमर कृति की वर्तमान प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए।

कोटा, (निसं)। भगवान नृसिंह जयंती के पावन अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 'आनंदमठ' पर एक वृहद परिचर्चा का आयोजन किया गया। मंडल पुस्तकालय में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षाविदों और साहित्यकारों ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस अमर कृति की वर्तमान प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, कृषि विश्वविद्यालय कोटा की कुलगुरु विमला डूंकवाल ने उपन्यास में चित्रित मातृशक्ति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय जीवन मूल्यों और सनातन धर्म की रक्षा में नारी शक्ति का योगदान सदैव अतुलनीय रहा है। उन्होंने परिवारों में संस्कार संवर्धन के लिए मातृशक्ति के सशक्तिकरण पर बल दिया।

विशिष्ट अतिथि विष्णु शर्मा 'हरिहर' ने कहा कि 'आनंदमठ' ने 'वन्दे मातरम्' के रूप में राष्ट्र को एक ऐसा मंत्र दिया, जिसने भारत माता की शस्य-श्यामला छवि को जन-जन के मानस में अंकित कर दिया।

विद्वानों ने साझा किए विचार-परिचर्चा के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने उपन्यास के अलग-अलग आयामों को छुआ। योगीराज योगी ने उपन्यास के सामाजिक यथार्थ और आज के दौर में इसकी जरूरत को रेखांकित किया,डॉ. नील प्रभा नाहर ने 'माता भूमिरू पुत्रो अहं पृथिव्या' के भाव के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के प्रेरणादायी योगदान पर चर्चा की।

सत्येंद्र वर्मा ने उपन्यास में वर्णित 'संन्यासी विद्रोह' को योद्धा के रूप में चित्रित करते हुए वैष्णव धर्म की व्याख्या की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महेश विजय ने संभागियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। इससे पूर्व, पुस्तकालयाध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की प्रासंगिकता बताई। कार्यक्रम का कुशल संयोजन राजेंद्र मोरपा द्वारा किया गया।

हनीट्रेप मामले में महिला सहित दो गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। सुखेर थाना पुलिस ने हनी ट्रेप में फसा कर पीडित की सोने की चेन व नकदी लूट के मामले में महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से लूटा गया माल व वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की। जला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक राजेश यादव के सुपरविजन में सुखेर थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में टीम ने हनी ट्रेप में फंसा कर लूट, अपहरण व फिरौती की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपी हिम्मत सिंह पुत्र फतह सिंह निवासी छातरड़ी झाड़ोल व अनु उर्फ चेरी पुत्री भेरूलाल पत्नी सत्यनारायण निवासरी टीडवास बरखेड़ा मंदसोर एमपी हॉल सर्वऋतु विलास को गिरफ्तार किया। सुखेर थाना क्षेत्र भेरवगढ रोड़ के पास फार्म हउस में पीडित को हनी ट्रेप में फंसा कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ-15/कृ.भू.रू./2026/170 **विज्ञप्ति** दिनांक-20.4.26

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम नयानोहरा खसरा नं. 113 में स्थित कृषि भूमि एकल पट्टा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 3300 वर्गगज आवेदक/आवेदिका अश्मित चौधरी एवं संकल्प प्रताप सिंह पुत्र श्री विशाल प्रताप सिंह निवासी म.न. 10नं. 1-सी-7 कॉमर्स कॉलेज रोड तलवण्डी कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 4146 दिनांक 05.05.2006 को सरोज सिंह पत्नि श्री रविन्द्र प्रताप सिंह के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 03.12.2023 को हो चुकी है। पट्टाधारी द्वारा अपने जीवनकाल में जर्ये पंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 11.01.2024 को आवेदको के पक्ष में किया गया है।

अतः अश्मित चौधरी एवं संकल्प प्रताप सिंह पुत्र श्री विशाल प्रताप सिंह के पक्ष नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम मोहम्मद नाजिल (Mohammad Nazil) S/o नजमुद्दीन (Nazmuddin) से बदलकर मोहद. नाजिल (Mohd. Nazil) S/o नजमुद्दीन (Najmuddin) बी-8, शिवाजी मार्केट, चंबल गार्डन, दादाबाड़ी कोटा (राज.) कर लिया है एवं भविष्य मे मुझे इसी नाम से पहचान जावे।

न्यायालय सिविल न्यायाधीश, उत्तर, कोटा, राज.

CIS

दावा सं.-173/2026

1. मुकेश सोनी पुत्र स्व. श्री रामनारायण सोनी, आयु 48 वर्ष निवासी कंसुआ कोटा, राज. अध्यक्ष कर्णेश्वर मानव सेवा संस्थान कर्णेश्वर महादेव मन्दिर कोटा, कंसुआ, कोटा, राज. मो.न.- 9887209288,
2. अरविन्द सिंह हाडा पुत्र उमराव सिंह हाड़ा आयु 45 वर्ष निवासी कंसुआ, कोटा, राज., 3. अंकित शर्मा पुत्र स्व. रामप्रताप शर्मा आयु 46 वर्ष निवासी 276, जागों का मोहल्ला, कंसुआ, कोटा, राज. .....वादीगण

बनाम

1. श्यामगिरी पुत्र श्री देवगिरी आयु 50 वर्ष निवासी शिव मन्दिर के पास, कंसुआ, कोटा, राज., 2. जिला कलेक्टर कोटा, राज., 3. आयुक्त, नगर निगम उत्तर, कोटा, राज., 4. संरक्षण सहायक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उप-मण्डल कंसुआ, कोटा, कार्यालय - कर्णेश्वर महादेव मन्दिर कोटा, कंसुआ, कोटा, राज. 5. अधिक्षण, पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 70/139-140, मानसरोवर, पटेल मार्ग, जयपुर मण्डल, जयपुर, राज. पिन 302020 ...प्रतिवादीगण

लोकहित वाद अन्तर्गत आदेश 01 नियम 08 जा.दी.

वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा

जनरल नोटिस

वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध लोकहित वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी कम -01 के द्वारा मन्दिर कर्णेश्वर महोदव मंदिर विराजमान कंसुआ, कोटा से 100 मीटर के अन्दर निषेद्ध क्षेत्र में गैर कानूनी निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में पुरातत्व विभाग द्वारा प्रतिवादी कम 01 श्याम गिरी को नोटिस भी मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने हेतु नोटिस जारी किये उसके बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया तब वादीगण की ओर से अवैध निर्माण को रोकने हेतु न्यायालय में वाद पत्र पेश किया गया और उपरोक्त वाद पत्र न्यायालय में विचाराधीन है। और किसी दिगर व्यक्ति को इस वाद में पक्षकार बनना है और अपना हित रखना है तो वह माननीय न्यायालय के समुख दिनांक 06.05.2026 से पूर्व अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है अन्यथा न्यायालय द्वारा लोकहित वाद में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नोटिस आज दिनांक 01.05.26 मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मोहर अदालत

पीठासीन अधिकारी

सिविल न्यायाधीश कोटा (उत्तर)

एक्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग व विशाल रैली का आयोजन

कोटा, (निसं)। वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन की ओर से मजदूर दिवस के अवसर पर सेन्ट्रल एक्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग तथा विशाल रैली का आयोजन उमरावमल पुरोहित सभागार में किया गया। इस अवसर पर ऑल इण्डिया रेलवेमैन्स फैडरेशन के महामंत्री कॉ. शिवगोपाल मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। कोटा दौरे के दौरान महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलवे में निजीकरण रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा निजीकरण के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर किया जा रहा है। जो संस्थाएँ जनता की थीं, उन्हें धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिससे रोजगार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर खतरे में पड़ रहे हैं। तर्क संगठन के नाम पर पदों में कटौती की जा रही है, कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है और कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार डाला जा रहा है। ऑल इण्डिया रेलवेमैन्स फैडरेशन के महामंत्री कॉ.शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलवे में जो खाली पद पड़े हुए उन्हे भरने के लिये रेल मंत्री व सरकार से भी वार्ता की गई है। उन्होने कहा कि 8वें वेतन आयोग तथा पेंशन से जुड़ी समस्याओं को रेलवे बोर्ड स्तर पर उठाया जा रहा है। आठवीं वेतन आयोग मे कर्मचारियों का मासिक वेतन बढ़ाने की मांग की गई है।

बढ़ती महंगाई और कमर्शियल गैस के दामों में 993 रुपये की भारी वृद्धि पर कांग्रेस का कड़ा प्रहार

कोटा, (निसं)। केंद्र की मोदी सरकार ने पश्चिमी बंगाल चुनावों के बाद युद्ध की आड़ में पुनः 1 मई शुक्रवार को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में प्रति सिलेंडर 993 की भारी बढ़ोतरी कर देश की जनता को पुनः छठी बार ठगने का कोटा शहर जिला काँग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम ने आरोप लगाते हुए गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि कमर्शियल गैस के प्रति सिलेंडरों में 993 रुपये की वृद्धि की कड़ी निंदा की है। शहर कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने अपने बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पश्चिमी बंगाल के चुनावों के बाद जनता को धोखा देकर युद्ध की आड़ में एक बार फिर छठी बार जनता की जेब पर डाका डाला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक जनवरी से अब तक छठी बार कीमतें बढ़ाई कुल मिलाकर 1518 रुपये अब तक कीमतें बड़ा चुकी है कॉमर्शियल सिलेंडर अब 3099 रुपये में मिलेगा जिसका सीधा सीधा आमजन पर महंगाई का बुरा असर पड़ रहा है राखी गौतम ने कहा एक तरफ आम आदमी पहले ही कमरतोड़ महंगाई से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल गैस के दाम बढ़ाकर सरकार ने छोटे व्यापारियों, होटल और रेस्तरां मालिकों की कमर तोड़ दी है। जब कमर्शियल सिलेंडर बेहताशा महंगा होगा, तो बाहर का खाना और चाय-नाश्ता भी महंगा होगा, जिसका सीधा बोझ अंततः आम जनता की थाली पर ही पड़ेगा। जिलाध्यक्ष गौतम ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है का नारा अब मोदी है तो महंगाई मुमकिन है में बदल चुका है। उन्होंने कहा कि चुनावी वादों में अच्छे दिन की बात करने वाली मोदी सरकार पश्चिमी बंगाल में चुनावों के बाद जनता की आँखों मे धूल झोखकर उन्हें धोखा देकर अब जनता को महंगे दिन का फिर से उपहार दिया है महंगाई की मार से जनता को मार रही है लूटने का हरसंभव प्रयास कर रही है राज्यों में मतदान हो चुका है युद्ध का बहाना है मोदी सरकार जनता को बार-बार लूटने का मौका नही गवांना चाहते हैं मोदी सरकार आमजन विरोधी है जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही बढ़ती कीमतों पर लगाम नहीं लगाई गई आने वाले समय जनता के हितों को देखते हुए काँग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी।

मूकबधिर बच्चों के बीच सेवा का अनुपम उदाहरण

कोटा, (निसं)। नर सेवा ही नारायण सेवा है के पावन भाव को साकार करते हुए विश्ववेरा सखी ग्रुप ने मूकबधिर विद्यालय में सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। ग्रुप द्वारा लगभग 150 दिव्यांग बच्चों को स्नेह, अपनत्व एवं करुणा के साथ भोजन वितरित किया गया। ग्रुप अध्यक्ष कविता दुगेरिया ने बताया कि बच्चों के मासूम चेहरों पर आई मुस्कान और उनकी प्रसन्नता ने सभी सदस्यों को भावविभोर कर दिया। यह सेवा कार्य केवल भोजन वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवता और संवेदनशीलता का जीवंत प्रतीक बन गया। कोषाध्यक्ष सुधा जैन ने जानकारी दी कि यह पुण्य कार्य उषा जिंदल एवं कामिनी जैन के जन्मदिवस के पावन अवसर पर आयोजित किया गया। वहीं टीना जैन द्वारा बच्चों को पेन वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की गई।

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)

क्रमांक-ननिको/जोन-3 व 4/भ.नि.अनु./2026/453 दिनांक- 01.5.26

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गिरिराज न्याती पुत्र श्री किशन लाल न्याती निवासी-2-क-23 दादाबाड़ी कोटा ने नगर निगम, कोटा में भूखण्ड संख्या- 2-क-23 दादाबाड़ी कोटा (राज.) का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या 2-क-23 दादाबाड़ी कोटा मूल भूखण्ड क्षेत्रफल- 216.10 वर्गमीटर का नामांतरण कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल कोटा को द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1896 दिनांक 14.06.2017 से उक्त भूखण्ड का नामांतरण श्रीमती बृजलता न्याती पत्नी श्री गिरिराज न्याती के पक्ष में जारी किया गया है। श्रीमती बृजलता न्याती द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 01.07.2025 से उक्त भूखण्ड की वसीयत आवेदक श्री गिरिराज न्याती पुत्र श्री किशन लाल न्याति के पक्ष में कि गई है। श्रीमती बृजलता की मृत्यु दिनांक 20.08.2025 को हो जाने के उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर नामांतरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड 2-क-23 दादाबाड़ी कोटा का क्षेत्रफल 216.10 वर्गमीटर का श्री गिरिराज न्याती पुत्र श्री किशन लाल न्याती के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा कार्यालय में प्रस्तुत करे। मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)

क्रमांक-ननिको/जोन-3 व 4/भ.नि.अनु./2026/452 दिनांक- 01.5.26

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार न्याती पुत्र श्री किशन लाल न्याती, श्रीमती नवनीता न्याती पत्नी श्री अशोक कुमार न्याती व श्रीमती सुशीला देवी न्याती पत्नी श्री बाबूनारायण न्याती व श्री गिरिराज न्याती पुत्र श्री किशन लाल न्याती निवासी 2-क-23 दादाबाड़ी कोटा ने नगर निगम, कोटा में भूखण्ड संख्या- 662 मेन रोड़ प्रताप नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) का संयुक्त रूप से स्वामित्व नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूखण्ड संख्या 662 मेन रोड़ प्रताप नगर दादाबाड़ी कोटा मूल भूखण्ड क्षेत्रफल- 12707.50 वर्गफुट की लीज डीड कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण कोटा के आदेश क्रमांक 3178 दिनांक 09.07.2021 से श्री अशोक कुमार न्याती पुत्र श्री किशन लाल न्याती, श्रीमती नवनीता न्याती पत्नी श्री अशोक कुमार न्याती, श्रीमती बृजलता न्याती पत्नी श्री गिरिराज न्याती एवं श्रीमती सुशीला देवी न्याती पत्नी श्री बाबूनारायण न्याती के नाम लीज डीड जारी कि गई है। श्रीमती बृजलता न्याती द्वारा दिनांक 01.07.2025 को वसीयत आवेदक श्री गिरिराज न्याती पुत्र श्री किशन लाल न्याती के पक्ष में कि गई है। श्रीमती बृजलता न्याती की मृत्यु दिनांक 20.08.2025 को हो जाने के उपरांत आवेदको द्वारा श्री अशोक कुमार न्याती पुत्र श्री किशन लाल न्याती, श्रीमती नवनीता न्याती पत्नी श्री अशोक कुमार न्याती व श्रीमती सुशीला देवी न्याती पत्नी श्री बाबूनारायण न्याती द्वारा प्रस्तुत सहमति शपथ पत्र दिनांक 30.03.2026 को प्रस्तुत कर श्री गिरिराज न्याती पुत्र श्री किशन लाल न्याती के पक्ष मे सहमति दी गई है। उक्त भूखण्ड 662 मेन रोड़ प्रताप नगर दादाबाड़ी कोटा का क्षेत्रफल 12707.50 वर्गफुट का श्री अशोक कुमार न्याती पुत्र श्री किशन लाल न्याती, श्रीमती नवनीता न्याती पत्नी श्री अशोक कुमार न्याती व श्रीमती सुशीला देवी न्याती पत्नी श्री बाबूनारायण न्याती व श्री गिरिराज न्याती पुत्र श्री किशन लाल न्याती के पक्ष में सयुक्त रूप से स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

आवेदको द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का सयुक्त रूप से स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा कार्यालय में प्रस्तुत करे। मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा

पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ 50 जोड़े विवाह के अटूट बंधन में बंधे

कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने नव-दंपतियों को आशीर्वाद दिया। नागर ने कहा कि सम्मेलन सामाजिक समरसता और एकता का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह की यह परंपरा हमारी उस सोच को दर्शाती है जहाँ हम 'स्व' से ऊपर उठकर 'सर्व' की चिंता करते हैं।

कोटा, (निसं)। अखिल हाड़ौती सर्व समाज समिति के तत्वावधान में शुक्रवार को विज्ञान नगर स्थित बीएसएनएल कॉलोनी के मैदान में 17वें सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी समारोह में हाड़ौती संभाग सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए सर्व समाज के 50 जोड़े एक ही पांडाल के नीचे वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह के अटूट बंधन में बंधे। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर नव-दंपतियों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर राकेश जैन, विवेक राजवंशी, जगदीश जिंदल, राकेश बोयत, रेखा लखेरा, गजाला खान और चैन सिंह राठौड़ सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन सामाजिक समरसता और एकता का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह की यह परंपरा हमारी उस सोच को दर्शाती है जहाँ हम 'स्व' से ऊपर उठकर 'सर्व' की चिंता करते हैं। फिजूलखर्ची त्याग कर सादगी से समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना ही असली मानवता है। उन्होंने समिति के अध्यक्ष अशोक पचेरवाल और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि 17 वर्षों से निरंतर समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता करना और उनके बच्चों के हाथ पीले करना ईश्वर की सच्ची सेवा है। नागर ने सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' के ध्येय को दोहराते हुए प्रदेश की प्रगति और ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे सुधारों का भी जिक्र किया। इस दौरान विवाह की रस्में पूरी भव्यता और शुद्धता के साथ संपन्न की गईं। समिति के अध्यक्ष अशोक पचेरवाल ने बताया कि गणेश स्थापना से लेकर तोरण, वरमाला और पाणिग्रहण संस्कार तक की समस्त रस्में विधि-विधान से पूरी हुईं। सम्मेलन स्थल पर हजारों लोगों के लिए प्रीतिभोज का भी आयोजन किया गया। इस पुनीत कार्य में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से भी नव-विवाहित जोड़ों के सुखद भविष्य के लिए विशेष उपहार भेजे गए, जो आकर्षण का केंद्र रहे। समिति द्वारा नव-दंपतियों के नए जीवन की शुरुआत के लिए उपहारों की झड़ी लगा दी गई। प्रत्येक जोड़े को भेंट स्वरूप सोने का मंगलसूत्र, सोने के कान के टॉप्स, नाक की लौंग, चांदी की पायल, और चांदी की बिछिया प्रदान की गई। इसके साथ ही घरेलू उपयोग के लिए अलमारी, पलंग, बिस्तर, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बर्तन, गैस सिलेंडर, टेबल और कुर्सी समेत विभिन्न आवश्यक सामग्री उपहार में दी गई। अंत में अशोक पचेरवाल ने सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

सम्मेलन में संयोजक रामप्रसाद पचेरवाल व सूरजमल, उप-संयोजक राजेश खोड़ा, रामप्रसाद कलौंसिया, प्रेम प्रकाश ढंढोरिया, जमना देवी, गीता यादव, सरोज, संगीता दास, कोटा जिला अध्यक्ष नितिन सक्सेना, कोटा शहर अध्यक्ष राजेश चाँवरिया, बूंदी जिला अध्यक्ष अर्जुन डाबोडिया, बारां जिला अध्यक्ष लेखराज डागर और झालावाड़ जिला अध्यक्ष भगवान दास गहलोत, देवेंद्र पचेरवाल, सिकंदर पवार, यश पचेरवाल, चिराग खरारिया, रामप्रसाद कलोसिया, राजेश खांड़ा, महेश घेंघट उपस्थित रहे।

जैन श्वेताम्बर मंदिर में शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर से 60 किलोमीटर मध्यप्रदेश में गांधी सागर में स्थित जैन श्वेताम्बर मंदिर जो कि वर्ष 2002 में मूलनायक भगवान कुन्थुनाथ स्वामी की प्रतिमा विराजमान थी। रामगंजमंडी में 15 अप्रैल को भगवान आदिनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा करवा कर आचार्य जिनमणिप्रभ सूरीश्वर नीमच में दो प्रतिष्ठा करवाने जा रहे थे तो विहार में गांधी सागर के मंदिर के दर्शन करने पहुँचे तो उन्होंने मूल नायक भगवान कुन्थुनाथ की प्रतिमा को खंडित पाया और इस प्रतिमा को बदल कर गांधी सागर के नाम एवं लेणिया से शंखेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजित करने का निर्णय लिया। आचार्य ने रामगंजमंडी के आदिनाथ जैन श्वेताम्बर श्रीसंघ ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार पारेख को शंखेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान करने का लाभ ट्रस्ट को देने का निर्णय लिया। गांधी सागर के मंदिर की नई शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा (अंजनशलाका) नीमच में आचार्य जीनमणिप्रभ सूरीश्वर की ओर से की गई। आदिनाथ जैन श्वेताम्बर श्रीसंघ के विजयकुमार छाजेड, सुशील गोखरु, सुरेन्द्र बापना, सुरेन्द्र रांका, श्रेयांस पारेख, प्रशांत बापना, गौरव बापना, रवि बापना, राजेन्द्र रांका, शशि बापना, मधु राजेन्द्र डोगी, शिल्पा रांका, साक्षी पारख ने सोमपुरा विनोद शर्मा भीनमाल एवं विधिकारक के साथ पूरे विधि विधान से विराजमान करके प्रतिष्ठित किया।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- 412 **नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक : 1.5.26

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास /भूखण्ड संख्या-1680 विनोबा भावे नगर निर्धन को आंगन योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक-388 दिनांक 24.04.2010 द्वारा श्री रूपेश जैन पुत्र श्री रामविलास को आवंटन किया गया था। आवंटी श्री रूपेश जैन पुत्र श्री रामविलास द्वारा उक्त भूखंण्ड/आवास को जर्ये मुख्तारनाम आम दिनांक 09.05.2014 श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री खेमराज नागर को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा भी उक्त भूखण्ड को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.04.2025 श्री खेमराज नागर पुत्र श्री रामनारायण नागर को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड / आवास संख्या-1680 योजना विनोबा भावे नगर निर्धन को आंगन योजना का नाम हस्तान्तरण आवेदक श्री खेमराज नागर पुत्र श्री रामनारायण नागर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा राजस्थान

क्रमांक-ननिको/भ.नि.अनु./जोन-4/2026/2214 दिनांक- 1.5.26

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती किरण राठौर पुत्री श्री ओम प्रकाश राठौर निवासी- 814 महावीर नगर द्वितीय कोटा (राज.) ने नगर निगम, कोटा का आवासिय भुखण्ड संख्या- 814 महावीर नगर द्वितीय कोटा (राज.) का नगर निगम, कोटा में नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवासिय भुखण्ड संख्या- 814 महावीर नगर द्वितीय कोटा (राज.) क्षेत्रफल 962 वर्ग फुट का कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा के कार्यालय आदेश क्रमांक-एफ (5335) आवंटन/न.वि.न्या. दिनांक 12.07.1976 से श्री देवी शंकर पुत्र श्री बिरधीलाल राठौर के नाम आवंटन जारी किया है। श्री देवी शंकर पुत्र श्री बिरधीलाल राठौर ने उक्त भूखण्ड की वसीयत पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 05.05.2025 से श्री ओम प्रकाश राठौर के नाम वसीयत की गई है। श्री देवी शंकर पुत्र श्री बिरधीलाल राठौर की मृत्यु दिनांक 20.12.2016 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके शेष विधिक वारिसान श्री ओम प्रकाश राठौर है। श्री ओम प्रकाश राठौर द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत दान पत्र दिनांक 11.03.2026 से श्रीमती किरण राठौर पुत्री श्री ओम प्रकाश राठौर को दान कर दिया है। श्रीमती किरण राठौर पुत्री श्री ओम प्रकाश राठौर के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा कार्यालय में प्रस्तुत करे। मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/1051 दिनांक : 29.4.2026

नाम हस्तातंरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/ भूखण्ड संख्या-205 केशवपुरा-6 योजना का आवंटन के पत्र क्रमांक 365 दिनांक 07.11.1986 द्वारा श्री दिलावर खाँ पुत्र श्री मोहम्मद खाँ को आंवटित किया गया था। श्री दिलावर खाँ के द्वारा श्री हरि वल्लभ पुत्र श्री चम्पालाल को उक्त भूखण्ड कि कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया। मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 24.09.2013 को श्रीमती चन्द्रकला पत्नि श्री हरि वल्लभ को कर दिया गया। क्रेता श्रीमती चन्द्रकला पत्नि श्री हरि वल्लभ ने उक्त भूखण्ड/आवास का बैचान जरिये उपहार पत्र श्रीमती रजनी नामा पत्नि श्री गजेन्द्र नामा को कर दिया गया है। उपहार ग्रहिता श्रीमती चन्द्रकला पत्नि श्री हरि वल्लभ ने अपने नाम उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखण्ड संख्या-205 केशवपुरा-6 योजना का नाम हस्तांतरण श्रीमती रजनी नामा पत्नि श्री गजेन्द्र नामा के नाम कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/1569 दिनांक : 1.5.26

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 157 मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 539 दिनांक 28.11.2016 को श्री शिशुपाल शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा के नाम आवंटन किया गया था। श्री शिशुपाल शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री अनिल कुमार चित्तौड़ा पुत्र श्री भंवर लाल चित्तौड़ा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2025 को श्री तुषार चित्तौड़ा पुत्र श्री अनिल कुमार चित्तौड़ा को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्री श्री तुषार चित्तौड़ा पुत्र श्री अनिल कुमार चित्तौड़ा द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 157 मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री तुषार चित्तौड़ा पुत्र श्री अनिल कुमार चित्तौड़ा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/299 **विज्ञप्ति** दिनांक : 29.4.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामपुरा खसरा नं. 626 में स्थित कृषि भूमि योजना कोयला बाग (वैभव नगर) भूखण्ड संख्या 9 का पूर्वी भाग आवेदक/आवेदिका श्री सचिन पंकज पुत्र श्री हेमराज पंकज निवासी कोयला बाग बजरंग नगर, वैभव नगर कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 6416 दिनांक 25.09.2009 को हेमराज पुत्र स्व. श्री भेरूलाल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 03.09.2019 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पत्नि विमला बाई, पुत्र सुरेन्द्र पंकज, राजेश्वरी, सचिन पंकज है। वारिसान विमला बाई, सुरेन्द्र पंकज, राजेश्वरी द्वारा जर्ये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 12.06.2025 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अतः श्री सचिन पंकज पुत्र श्री हेमराज पंकज के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा